



भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग,
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्कबोर्ड
Government of India
Ministry of Finance, Department of
Revenue
Central Board of Indirect Taxes and
Customs
commr-cexdaman@nic.in



सत्यमेव जयते

Ph: 0260-2460305

आयुक्तकार्यालय
केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, दमण आयुक्तालय
Office of the Commissioner
Central G.S.T., Daman
Commissionerate
वस्तु एवं सेवाकर भवन, आर. सी. पी. कम्पाउंड, वापी-
३९६१९१
G.S.T. Bhavan, RCP Compound, Vapi-
396191
Fax: 0260-2460484

स्थापना आदेश संख्या: 10/2022

वापी, दिनांक: 21.02.2022

विषय: वस्तु एवं सेवाकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दमण आयुक्तालय के कर सहायक के ग्रेड में ट्रांसफर और पोस्टिंग हेतु।

स्थापना आदेश सं. 117/2021 दिनांक 15.12.2021 एवं स्थापना आदेश सं. 02/2022 दिनांक 04.01.2022 जोकि संयुक्त आयुक्त (मु.आ.का.), वस्तु एवं सेवाकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वडोदरा ज़ोन, वडोदरा द्वारा जारी किया गया है, के अनुसरण में वस्तु एवं सेवाकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दमण आयुक्तालय में कर सहायक के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण / पोस्टिंग को तत्काल प्रभाव से आदेशित किया जाता है:-

क्र.सं. Sr. No.	अधिकारी का नाम (सर्व / श्री/श्रीमति/कु.) Name of the officer (S/Shri/Smt./Ms.)	पोस्टिंग की वर्तमान जगह Present place of Posting	अतिरिक्त प्रभार Additional Charge	पोस्टिंग की नई जगह New place of posting
1	श्वेता अग्रवाल	नई नियुक्ति	--	प्रशासन अनुभाग (मुख्यालय)
2	आशीष कुमार सिहाग	नई नियुक्ति	--	प्रशासन अनुभाग (मुख्यालय)
3	देवेन्द्र सिंह निरवान	मंडल -VII	प्रशासन अनुभाग (मुख्यालय) अतिरिक्त प्रभार (31.03.2022 तक)	
4	पियूष कुमार सिंह	मंडल-VI	प्रशासन अनुभाग (मुख्यालय) अतिरिक्त प्रभार (31.03.2022 तक)	

2. अपने नए स्थान पर अधिकारियों के पदभार ग्रहण करने से पहले किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. सभी स्थानांतरित अधिकारियों को 21.02.2022 (अपराहन) में कार्यमुक्त किया जाता है और पदभार ग्रहण की तारीख तुरंत इस कार्यालय को सूचित की जाए।

4. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Shati

(डॉ. सुशांत आर. पाटील)

उप आयुक्त (का. व स.)

वस्तु एवं सेवाकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दमण.

फा. स. II/03-02/2019-स्था.

वापी, दिनांक 21.02.2022

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. अपर / संयुक्त आयुक्त (मु.आ.का.), वस्तु एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वडोदरा ज़ोन, वडोदरा.
2. आयुक्त के निजी सहायक, वस्तु एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दमण.
3. अपर / संयुक्त आयुक्त, वस्तु एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दमण.
4. सभी उप/सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क दमण.
5. वेतन एवं लेखा अधिकारी / मुख्य लेखा अधिकारी, वस्तु एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क दमण.
6. सम्बन्धित व्यक्ति/ गार्ड फाईल.